116/83.1

संख्या:– / VI(1)/2018–05(04)/2010

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग देहरादून दिनांक 29 जनवरी, 2018

विषय:–मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–447/2009 "कर्ण्व ऋषि के तपस्थली एवं राजा भरत की जन्म स्थली कर्ण्वाश्रम कोटद्वार को पर्यटन के रूप में विकसित किया जायेगा" हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–245/VI(1)/2015–05(04)/2010, दिनांक 27 मार्च, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत योजना हेतु ₹ 65.72 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹ 20.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उक्त के कम में आपके पत्र संख्या–401/2–6–66(चालू योजना)/2018, दिनांक 18 जनवरी, 2018 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–26 में चालू निर्माण कार्य मद में प्रावधानित धनराशि ₹ 300.00 लाख में से घोषणा संख्या–447/2009 "कर्ण्व ऋषि के तपस्थली एवं राजा भरत की जन्म स्थली कर्ण्वाश्रम कोटद्वार को पर्यटन के रूप में विकसित किया जायेगा" हेतु ₹ 25.00 लाख **(रूपये पच्चीस लाख मात्र)** की धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) धनराशि अवमुक्त से सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(ii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(iii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iv) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री को प्रयोग में लायी जाये।

(v) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vi) कार्य के प्रति पूर्ण भुगतान करने से पूर्व किसी तृतीय पक्ष से इसकी गुणवत्ता की चेकिंग का कार्य उक्त अनुमोदित लागत से कराये जाने के बाद कार्य अनुमोदित आगणन के अनुसार होने की पुष्टि पर ही भुगतान किया जायेगा। यह दायित्व निदेशक पर्यटन का होगा। अतः निदेशक पर्यटन Third party Monitering की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

(vii) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

(viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2018 तक अवश्य कर लिया जाय।

(ix) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(x) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 एवं समय–समय पर इस सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

2– उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक 5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–104–संवर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–47–निर्माण कार्य चालू–24–वृहत् निर्माण कार्य मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 के प्राविधानों द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S.1801260456 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः–321/VI(1)/2018–05(04)/2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
4– जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल।
5– जिला पर्यटन विकास अधिकारी पौड़ी गढ़वाल।
6– वित्त अनुभाग–2. उत्तराखण्ड शासन।
7– सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
8– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।